मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक संचालक उद्योग के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक **08/चयन/2013/ 28.09.2013**

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **30.10.2013**

आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि **18.11.2013**

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन

महत्वपूर्ण

1- **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 11.10.2013 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 30.10.2013 (रात्री 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है ।**

2- **आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र मे उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें की शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक (आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें ।**

3- **आवेदक यह ध्यान रखें कि केवल ऑनलाइन आवेदन करने अथवा शुल्क भुगतान करने मात्र से आवेदन प्राप्त नही माना जाएगा तथा जिन आवेदकों के अभिप्रमाणित प्रतियों सहित आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2013 को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय को प्राप्त नहीं होंगे उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी एवं इस सन्दर्भ मे कोई पत्र व्यवहार नही किया जाएगा ।**

आवेदन पत्र भरने तथा प्रेषित करने के संदर्भ मे विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र तथा अभिलेख आयोग को प्रेषित करें।

4- **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें . ऑनलाइन आवेदनपत्रों में दिनांक 21.10.2013 से दिनांक 01.11.2013 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा । आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते है ।**

5- **ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।**

6- **विज्ञापन के सन्दर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रसारित की जायेंगी । आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें । लिखित परीक्षा की स्थिति में लिखित परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की उक्त वेबसाइटों तथा रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।**

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग , मध्य प्रदेश शासन**, के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं हेतु आरक्षित पद				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद
		अना	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. व.	अना	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ. पि. व.	
सहायक संचालक उद्योग Assistant Director Industries	**51**	**28**	**05**	**13**	**05**	**08**	**01**	**03**	**01**	**03 अनारक्षित-02 अनु. जाति-01 (अस्थिबाधित)**

दो - **पद का विवरण**

01 (अ) **पद का नाम** : **सहायक संचालक उद्योग (Assistant Director Industries)**

(ब) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग**

(स) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(द) **पद स्थिति** : स्थायी

(इ) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।

(फ) **अर्हता** :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स, धातुकर्म, औद्योगिक या रासायनिक इंजीनियरिंग या औद्योगिक रसायन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र (विशेष विषय के रूप में इलेक्ट्रानिक्स) में उपाधि।

(ज) **कर्तव्य** : प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं औद्योगिकीकरण का विकास।

विशेष: उक्त अर्हतायें विज्ञापन मे उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **30.10.2013** तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जायेंगें।

तीन आयु सीमा: **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

चार आयु संगणना तिथि 01.01.2014 होगी।
आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -1 देखें।

पांच (i) **शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है।**

(ii) **चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।**

(iii) **सहायक संचालक उद्योग के पद हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31.03.2005 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त आवेदक आरक्षण तथा आयु सीमा में छूटों के पात्र है।**

(iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(v) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

छः **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

सात महत्वपूर्ण :- **यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

आठ अधिवार्षिकी आयु :- **60 वर्ष**

नौ चयन प्रक्रिया :-

चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना (न्यूनतम 200) तथा समान अंक पाने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जायेगी।

आवेदकों की संख्या रिक्त पदों की तुलना में पांच गुना से अधिक होने के साथ ही 500 से अधिक होने पर आयोग के नियम प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा।

टीप: लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय रोजगार एवं निर्माण समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -2 का अवलोकन करें।

ग्यारह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तित होता है तो एसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए पते की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नए पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देंखें :-

(i) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-1

(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट -2

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यक्ता, तलाक़शुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
विशेष :- सभी प्रकार की छूटों को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(2) **मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/ अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल,परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओ में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगा।**

(3) नि:शक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। **सहायक संचालक उद्योग के पद हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31.03.2005 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त आवेदक आरक्षण एवं छूटों के पात्र है।**

(4) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवा का योग हो) कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(5) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार :

" 2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमे भूतपूर्व भारतीय

रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किए जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्ति या अंतरित किए जाने का हकदार होने के लिए अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिए सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। "

टीप: भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के संशोधनों के अधीन रहेगी

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट -1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 4) तथा (दो) (1 से 3) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटो को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- सहायक संचालक उद्योग **(Assistant Director Industries)** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.com
3. www.mppsc.nic.in

2- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें की भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **21.10.2013 से 01.11.2013** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

9- **आवेदन पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-**

(1) आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com के Download Formate लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमश: तीन, छ: तथा एक छाया प्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही है (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्यों की उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) उक्त अभिलेख सेट के साथ प्राप्तकर्ता के स्थान पर अपना तथा पूर्ण पता लिखा तथा ₹ 6/- का डाक टिकट लगा एक लिफाफा संलग्न करें। एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन पत्र, समस्त अभिलेख तथा पता लिखा लिफाफा) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 08/चयन/2013/ **28.09.2013**

सहायक संचालक उद्योग , वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

के पद हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

सचिव

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,

रेसीडेंसी एरिया

इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक:

आवेदक का नाम

तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन पत्र दिनांक **18.11.2013** को सायंकाल 5:30 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जायेगा। आवेदन पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रात: 10:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जायेगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10- विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अत: आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं नि:शक्त आवेदकों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
₹ 30/-	₹ 60/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त ₹ 40/- (सेवाकर सहित) देय होगा **लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा**	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते है :-

दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या हेतु :- बिनोय एम. जार्ज - (0755) 4019410

टीप: **आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-**

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : **यदि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-**
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या हेतु :- बिनोय एम. जार्ज - (0755) 4019410

3- **आवेदन की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **30.10.2013** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

(ब) स्वप्रमाणित अभिलेखों सहित आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि **18.11.2013** (सायं 5:30 बजे तक) है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त किए जायेगें तथा जमा आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

4- **आवेदक आयोग को प्रेषित किए जाने वाले आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

अनुभव के प्रमाण पत्र :- अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। ।

नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :- नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक संचालक उद्योग पदों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 8-5/2004/आ.प्र./एक, दिनांक 31.03.2005 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्तता होने पर ही आरक्षण एवं छूटों की पात्रता होगी।**

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया जाति प्रमाण -पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनां आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाक़शुदा हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/ छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (लिखित परीक्षा संबंधी अनुदेश लिखित परीक्षा की स्थिति में)

ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा कराते हुये अपने साथ ले गया हों।

आपराधिक अभियोजन के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा :-

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा/चयन के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा और/ या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये -

(एक) आयोग द्वारा, ली गयी किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से ;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा मे हों तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि -

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हों, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गयी कालावधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार न किया गया हो।

7- अनर्हतायें:- ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं है मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणापत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगें :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी है तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हों।

सचिव